उत्तर प्रदेश शासन,
परिवहन अनुभाग–4

संख्या–814 / 30–4–2012–8(27) / 2012
लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2012

अधिसूचना

चूंकि भारत सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 425(ई), दिनांक 09.06.1989 में गैर परिवहन हल्के मोटर यान (न्यूमेटिक टायरयुक्त बिना ट्रेलर लगे हुए) हेतु कोई अधिकतम गति सीमा निर्धारित नहीं किया है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे–ग्रेटर नोयडा से आगरा–को हल्के मोटर वाहनों हेतु अधिकतम गति 120 कि0मी0 प्रति घंटा के लिए डिजायन एवं निर्मित किया गया है और चूंकि राज्य सरकार का सार्वजनिक सुरक्षा के हित में यह समाधान हो गया है कि उक्त एक्सप्रेसवे पर ऐसे वाहनों हेतु गति को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल यमुना एक्सप्रेसवे पर गैर परिवहन हल्के मोटर यान (न्यूमेटिक टायरयुक्त बिना ट्रेलर लगे हुए) के संचालन के लिये गति सीमा को प्रतिबंधित करते हैं और ऐसे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 कि0मी0 प्रति घंटा निर्धारित करते हैं और निदेश देते हैं कि उपरोक्त एक्सप्रेसवे पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–116 के अधीन उपयुक्त स्थानों पर, यथास्थिति, राज्य सरकार के संबंधित विभाग या प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त यातायात संकेत लगाये या परिनिर्मित किये जायंगे।

आज्ञा से

बी0एस0 भुल्लर
प्रमुख सचिव।

संख्या–814 (1) / 30–4–2012::तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी, सी0डी0 सहित) संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया, इस अधिसूचना को दिनांक 13 जुलाई, 2012 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग–4, कक्ष संख्या–320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।